संख्या 336 /2010 /2(120)/xxvii(8)/2010

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) **दिनांक : देहरादून : 31 मार्च, 2010**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 4218 दिनांक 01–01–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह परामर्श देने की अपेक्षा की गयी है कि "नीम ऑयल" मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) के क्रमांक 120 पर अंकित प्रविष्ठि "वनस्पति तेल जिसके अन्तर्गत गिगंली और ब्रान ऑयल सम्मिलित है" के तहत सम्मिलित माना जायेगा अथवा नहीं। उक्त बिन्दु पर शासन द्वारा न्याय विभाग को परामर्श हेतु सन्दर्भित किया गया था जिसके सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त न्याय विभाग द्वारा निम्न परामर्श उपलब्ध कराया गया है–

"अधिनियम की अनुसूची II(ख) के क्रमांक 43 में उल्लिखित शब्दावली खाद्य तेल है। इस प्रकार अधिनियम की अनुसूची II(ख) के क्रमांक 43 में शब्दावली खाद्य तेल प्रयुक्त हो जाने के पश्चात् क्रमांक 120 में प्रयुक्त शब्दावली 'वनस्पति तेल जिसके अन्तर्गत गिगंली और ब्रान ऑयल सम्मिलित है' का तात्पर्य है खाद्य तेल से इतर तेल से है। दूसरे शब्दों में, क्रमांक 120 में प्रयुक्त वनस्पति तेल का अर्थ वनस्पतियों से प्राप्त उन तेल से है जिनका प्रयोग खाद्य तेल के रूप में नहीं होता।

नीम ऑयल वनस्पति से प्राप्त होता है और Wikipedia Encyclopedia में नीम ऑयल को वनस्पति तेल के प्रकार में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, क्रमांक 120 में उल्लिखित वनस्पति तेल का आशय खाद्य तेल से इतर वनस्पति से प्राप्त तेल से है, अतः यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि नीम ऑयल जो नीम की निमौली से बनता है, भोजन बनाने में प्रयुक्त न होने के कारण वनस्पति तेल जिसके अन्तर्गत गिगंल और ब्रान ऑयल सम्मिलित है, नहीं है।

इस प्रकार नीम ऑयल अधिनियम की अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 120 में उल्लिखित वनस्पति तेल है।"

कृपया न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त परामर्शानुसार अपने स्तर से कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
सचिव, वित्त।

Vividh Patra/Commissioner ko Presit/DT